सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय परगनाधिकारी मिलक, रामपुर

वाद संख्या 80/2007-08 धारा 143 ज0 वि0 अधिनियम
ग्राम- केरानगला वदीम तहसील मिलक

उत्कर्ष ग्राम्य विकास संस्थान बनाम सरकार
सचिव उत्कर्ष श्री राम रक्षपाल
सिंह आदि

निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रार्थी/वादी उत्कर्ष ग्राम्य विकास संस्थान सचिव
उत्कर्ष श्री रामरक्षपाल सिंह एवं श्रीमति ?नायादव पत्नी रामरक्षपाल सिंह
निवासी ग्राम डूंगरपुर पोस्ट मानपुर जिला मुरादाबाद के प्रार्थना पत्र दिनांक
25-6-2008 के आधार पर प्रारम्भ हुआ, जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा
न्यायालय को अवगत कराया गया कि ग्राम केरानगला — वदीम तहसील मिलक
में गाटा संख्या 41 रकबा 1-453 हेक्टे0 में से रकबा 1-400 हेक्टे0 की संक्रमणीय
भूमिधर काश्तकार है। आराजी निजाई में एक कमरा बना है। लगभग 6 फिट
अपवादी के रूप में प्रयोग की जा रही है।
ऊंची बाउन्ड्री का रकबा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में
निवेदन किया है कि आराजी व निजाई गाटा संख्या 41 रकबा 1-453 हेक्टे0 में से
1-400 हेक्टे0 को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जांच हेतु तहसीलदार मिलक को भेजा
गया। जांच अधिकारी/तहसीलदार मिलक ने अवगत कराया कि आराजी निजाई
गाटा संख्या 41 रकबा 1-453 हेक्टे0 में से रकबा 1-400 हेक्टे0 के भूस्वामी संक्रमणीय
भूमिधर काश्तकार है। जो कि उत्कर्ष ग्राम्य विकास संस्थान सचिव रामरक्षपाल
पाल सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कागजात है। प्रार्थी/वादी द्वारा
आराजी निजाई को अकृषि भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है
जांच अधिकारी/ तहसीलदार मिलक ने अपनी आख्या में यह स्पष्ट रूप से अंकित
किया है कि विवादित भूमि पर कोई लगान देय नहीं है एवं विवादित भूमि
पर कराये गये निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए विवादित भूमि को अकृषिक
भूमि घोषित करने की स्पष्ट रूप से संस्तुति की है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का भली भांति परिशीलन किया
गया। प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया, उन्होंने
अपने तर्कों में कहा कि आराजी निजाई को कृषि भूमि से अकृषि भूमि
घोषित किये जाने की सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर दी गयी है।

क्र0 प0 30121

विवादित भूमि का प्रयोग कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशु-कुक्कुट पालन आदि में नहीं किया जा रहा है। आराजी मिलाई पर कोई लगान भी देय नहीं है, उन्होंने अपने तर्क में यह भी कहा है कि तहसीलदार ने भी विवादित भूमि को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की है। पक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार मिलक की आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मिलक ने विवादित भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने की स्पष्ट संस्तुति की है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मिलक की आख्यानुसार विवादित भूमि एकक्षत्रीय रूप से अकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है। अतएव एतद्द्वारा निम्न आदेश पारित किया जाता है -

आदेश

अतः आराजी मिलाई स्थित ग्राम केशानगर कदीम तहसील मिलक में गाटा संख्या 41 रकबा 1-453 हेक्टे0 में से रकबा 1-400 हेक्टे0 को एकक्षत्रीय रूप से कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक 09 जुलाई, 2008।

परगनाधिकारी,
मिलक 09/7/08

निर्णयादेश आज दिनांक 09.7.08 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

परगनाधिकारी,
मिलक 09/7/08

आवेदन की सं० 202
दिनांक प्रार्थना पत्र 10-7-2008
नाम प्रार्थी
स्टाम्प का मूल्य
शब्दों की संख्या
दिनांक तैयार नकल 11-7-2008
दिनांक नकल देने की 11-7-08
ह० नकल नवीस

सत्य प्रतिलिपि
सम्बन्धित सहायक
न्यायालय
मिलक